न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 14/2008

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीमती प्रकाश कुंवर पत्नि श्री हिम्मतसिंह जाति चारण निवासी झांकर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		1. सरपंच ग्राम पंचायत, जनापुर। 2. मृतक श्री चेला पुत्र श्री तोलाराम जाति मीणा निवासी झांकर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही। 2.1 श्री खीमाराम पुत्र श्री चेलाजी जाति मीणा निवासी झांकर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही। 2.2 श्री जेठाराम पुत्र श्री चेलाजी जाति मीणा निवासी झांकर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही। 2.3 श्री आसिया पुत्र श्री चेलाजी जाति मीणा निवासी झांकर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री अशोक पुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 12.04.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 02 दिनांक 10.03.1992 वर्गफीट 1200 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है, जो विधिविरूद्ध है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक बावजूद नोटिस तामिली के अनुपस्थित जिसके द्वारा इस प्रकरण से सम्बन्धित रेकर्ड भेजा गया जो शामिल मिसल किया। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे जरिये वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:17:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित द्वारा की गयी बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमो के विपरित पट्टा संख्या 02 दिनांक 10.03.1992 जारी किया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि ग्राम पंचायत जनापुर द्वारा वर्ष 1980 में ग्राम झांकर में खसरा संख्या 743 की 4.01

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

बीघा राजकीय बिलानाम भूमि को जिलाधीश महोदय सिरोही द्वारा आबादी विस्तार के लिए आरक्षित कर उसे आबादी में संपरिवर्तन कर पंचायत को सुपूर्द किया, जिसमें 1 से 70 प्रत्येक 60×20 के भूखण्ड नीलाम हुए। उक्त नीलामी में प्रार्थीया के पति ने दिनांक 10.01.1981 को उच्चतम बोली लगाकर भूखण्ड संख्या 12 को क्रय किया तथा उक्त भूखण्ड की 10 प्रतिशत राशि उसी रोज जमा कराकर रसीद प्राप्त की एवं शेष राशि को नीलामी की तारीख से दो माह के अन्दर पंचायत द्वारा मांग करने पर जमा कराएगा। प्रार्थीया के पति वर्ष 1990 तक करीब 10 वर्ष तक विवादित भूखण्ड की बकाया राशि जमा कराने हेतु तत्पर रहा किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उनसे राशि जमा नहीं करवाई गई। ग्राम पंचायत जनापुर ने दिनांक 24.01.1985 को भूमि विक्रय 37/1 दिनांक 09.10.1980 के सम्बन्ध में नीलामी की पांच वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात प्रार्थीया के पति को सूचित किए बिना अन्य क्रेताओं पर बकाया राशि जमा नहीं कराने का आक्षेप लगाकर नियम 263 राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 261 के तहत विक्रयशुदा भूखण्डों के पुनः विक्रय के आदेश कर प्रार्थीया के पति की 10 प्रतिशत राशि जब्त कर दिए। पांच वर्ष बाद प्रार्थीया के पति के नाम मिसल संख्या 37/80 के सम्बन्ध में नोटिस क्रमांक 3971 दिनांक 02.11.1990 व नोटिस क्रमांक 369/74 दिनांक 04.10.1990 का ग्राम पंचायत जनापुर द्वारा झूठा हवाला देकर प्रार्थीया के पति की आम नीलामी की पत्रावली को निरस्त कर दिया। विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो ने 05.01.2007 को कब्जा करना चाहा तब प्रार्थीया को पता चला कि उक्त भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या दो को जारी हो चुका है। अप्रार्थी को पट्टा निःशुल्क प्राप्त हुआ है जिसकी वह पात्रता नहीं रखता है। अप्रार्थी संख्या दो के पास पूर्व में ग्राम झांकर में पुश्तैनी मकानात् एवं अन्य आवासीय भूमि पर्याप्त मात्रा में है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित पट्टा संख्या 02 दिनांक 10.03.1992 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। प्रार्थीया का पति ग्राम पंचायत जनापुर का निवासी नहीं है एवं वह बनास में जेके फैक्टरी में काम करता है। प्रार्थीया के पति को उक्त नीलामी में बोली लगाने का अधिकार ही नहीं था और न ही उसने 10 वर्ष तक बकाया राशि जमा करवाई। अतः ग्राम पंचायत ने नियमानुसार नोटिस जारी कर उनकी आम नीलामी की पत्रावली को निरस्त किया था। अप्रार्थी गरीब परिवार का होने से एवं स्वयं का कोई अन्य भूखण्ड नहीं होने से निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है। उक्त नीलामी की समस्त कार्यवाई प्रार्थीया के पति ने की है तथा प्रार्थीया के पति के जीवित रहते हुए प्रार्थीया को निगरानी का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या दो को आवंटन 1992 में हुआ था एवं वह तब से मकान बनाकर रह रहा है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या दो को हैरान परेशान करने की नियम से यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:17:07 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा पंचायत के प्रस्ताव लेकर जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है। प्रार्थीया के अधिवक्ता का यह कथन है कि विवादित भूमि

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रार्थीया के पति ने नीलामी में उच्चतम बोली लगाकर क्रय की थी, जिसकी 10 प्रतिशत राशि उसी दिन जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष राशि को पंचायत के मांग करने पर दो माह के अन्दर जमा करवा देगा। प्रार्थीया का पति वर्ष 1990 तक करीब 10 वर्ष तक शेष राशि जमा कराने के लिए तत्पर रहा परन्तु पंचायत ने उनसे राशि जमा नहीं करवाकर उनकी नीलामी की पत्रावली को ही निरस्त कर दिया एवं अप्रार्थी संख्या दो को नियमों के विरूद्ध पट्टा जारी कर दिया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जो यह साबित कर सके कि प्रार्थीया को उक्त भूखण्ड नीलामी में प्राप्त हुआ है। प्रार्थीया के अधिवक्ता का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि प्रार्थीया के पति ने 10 प्रतिशत राशि उसी रोज जमा करवाई और रसीद प्राप्त की क्योंकि पत्रावली पर ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं है। ग्राम पंचायत जनापुर द्वारा प्रस्तुत Factual Report में भी नीलामी से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना बताया है एवं मौके पर विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो ने सात फीट की दीवार बना रखी है। अतः ऐसी स्थिति में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में प्रार्थीया का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:17:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner